

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन विभाग केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

Reserve Bank of India Department of Banking Regulation Central Office Mumbai

लाइसेंस स.एमयूएम:140

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा

"डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड"

को इस कार्यालय के पत्र बैंविवि.आईबीडी.स. 2762/23.13.046/2018-19 दिनांक 04 अक्तूबर 2018 में उल्लिखित शर्तों के आधीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय के लिए लाईसेंस प्रदान करता है।

म्बई

दिनांक: 04 अक्तूबर 2018

मनीषा मिश्र) महा प्रबन्धक

Licence No: MUM:140

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by section 22(1) of the Banking Regulation Act, 1949,

"DBS Bank India Limited"

is hereby granted a licence to carry on banking business in India subject to the terms and conditions mentioned in Reserve Bank of India letter DBR.IBD.No. 2762/23.13.046/ 2018-19 dated October 04, 2018.

Mumbai

Dated: October 04, 2018

Mansha Mishra)
General Manager